प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 2201/2006

याचिकाकर्ता : 1. महेन्द्र पटेल, आयु लगभग 65 वर्ष, पिता श्री निरंजन पटेल, व्यवसाय–कृषक, निवासी ग्राम कापुडीही, तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ०ग०) (पूर्व जिला रायपुर (छ०ग०), निरंजन की मृत्यु होने से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :
1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर(छ०ग०)
2) कलेक्टर, जिला महासमुंद(छ०ग०)
3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुंद (छ०ग०)
4) सुखीराम, आयु लगभग 60 वर्ष, पिता समरू, जाति कंवर, निवासी गाँव पलसपाली, तहसील बिलाईगढ़, जिला रायपुर (छ०ग०)
5) दुखीराम, आयु लगभग 65 वर्ष, पिता श्री समरू, जाति कंवर, निवासी–गाँव पलसपली, तहसील बिलाईगढ़, जिला रायपुर (छ०ग०)

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री ए. एन. भक्ता, अधिवक्ता ।
: उत्तरवादीगण के लिए श्री जसवंत सिंह, शासकीय अधिवक्ता।

(मौखिक आदेश)

(दिनांक 27 अप्रैल, 2006 को पारित)

निराशाजनक रूप से, यह प्रकरण परिसीमा और अयुक्तियुक्त विलंब और उपेक्षा से बाधित है। छ०ग० भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 170 (ख) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तीसरे उत्तरवादी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–01–1993 को विधि द्वारा विहित 45 दिनों की परिसीमा समाप्त होने के बाद दिनांक 07–06–1993 को कलेक्टर, महासमुंद, दूसरे उत्तरवादी के समक्ष चुनौती दी गई थी। इसलिए, कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 28–10–1998 द्वारा अपील को खारिज कर दिया। 218 दिन व्यपगत होने के बाद द्वितीय अपील राजस्व विभाग के आयुक्त के समक्ष दायर की गई थी, जबकि उसे यह 60 दिनों की निर्दिष्ट परिसीमा के भीतर दायर करना चाहिए था। आयुक्त ने भी अपने आदेश दिनांक 16–01–2002 द्वारा परिसीमा के आधार पर अपील को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध, यह रिट याचिका दिनांक 25–04–2006 को, 4 वर्ष और 3 माह से अधिक की अवधि के बाद, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) मैंने रिट याचिका का अध्ययन किया है। 4 साल और 3 महीने से अधिक के अत्यधिक विलंब के लिए एक शब्द का भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि चूंकि तीसरे उत्तरवादी द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है, इसलिए इस तरह के आदेश को किसी भी समय चुनौती दिया जा सकता है। सबसे पहले, विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है, उचित नहीं है। तीसरा उत्तरवादी संहिता की धारा 170 (ख) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक सांविधिक प्राधिकारी है। वैकल्पिक रूप से, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क कि न्यायालय रिट याचिका को तब खारिज नहीं कर सकता जब उसे लगता है कि आक्षेपित आदेश विधिक प्राधिकार से परे है, इस पर केवल ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन इसे खारिज किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, यह सुस्थापित विधि है कि भले ही किसी न्यायालय या अर्ध न्यायिक मंच या प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश प्राधिकार या अधिकार क्षेत्र के बिना हो, ऐसा आदेश वास्तविक आदेश बना रहेगा और इसका पूर्ण कानूनी बल और परिणाम होगा, जब तक कि किसी उचित कार्यवाही में इस तरह के आदेश को उपरोक्त न्यायालय द्वारा अपास्त या रद्द नहीं किया जाता है। यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें याचिकाकर्ता कार्यवाही के हर चरण में प्रकरण की उपेक्षा करने का दोषी है। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के बाद कलेक्टर के समक्ष पहली अपील और राजस्व विभाग के आयुक्त के समक्ष दूसरी अपील दायर की और वे इस न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का हवाला देते हुए, इसे उसके पक्ष में प्रयोग करने के लिए 4 वर्ष और 3 माह से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद, इस अत्यधिक देरी के लिए एक शब्द भी स्पष्टीकरण दिए बिना, अपील कर रहे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) यह सर्वविदित सिद्धांत है कि न्यायालय उद्यमी की सहायता करता है, आलसी की नहीं, जो अपने अधिकार के प्रति लापरवाह रहता है। यद्यपि कोई विशिष्ट परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं है, फिर भी उच्च न्यायालय अपने असाधारण अधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन शक्ति, जहां याचिकाकर्ता लापरवाही या अनुचित विलंब, जिसके लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है, का दोषी है। जब तक प्रकरण के तथ्य और परिस्थिति स्पष्ट रूप से लापरवाही या अनुचित विलंब को उचित नहीं ठहराती, तब तक याचिकाकर्ता अनुतोष का हकदार नहीं हो सकता था। यह अनिवार्य है, यदि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपलब्ध असाधारण उपचार का आह्वान करना चाहता है, तो उसे जल्द से जल्द उचित रूप से संभव अवसर पर न्यायालय में आना चाहिए। रिट याचिका दायर करने में अत्यधिक देरी होने पर विवेकाधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने के लिए अच्छा आधार होगा। यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति सरकार के किसी भी आदेश या किसी भी वैधानिक प्राधिकारी की किसी भी कार्यपालन

कार्रवाई या आदेश से व्यथित हैं, उसे शीघ्रपूर्वक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि न्यायालय राज्य के दावों को लेकर कोई हंगामा न करें और उन मामलों को फिर से न उठाएं जिनका निराकरण पहले ही हो चुका है या जहां इस बीच तीसरे पक्ष के अधिकार अर्जित हो गए हैं या जहां देरी का कोई उचित कारण नहीं है। यह सिद्धांत मौलिक अधिकारों के अतिलंघन के प्रकरण में भी लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दाखिल करने में अत्यधिक देरी होने पर, उच्च न्यायालय अपने विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। इस तथ्य के आधार पर कि तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित नहीं किए गए थे, हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। यह सिद्धांत उन आदेशों पर भी लागू होता है जो अमान्य हैं। हाल ही में, **राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मी**[1] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "यद्यपि आदेश शून्य हो सकता है, यदि पक्षकार उचित समय के भीतर न्यायालय में नहीं जाता है, जो कि हमेशा एक तथ्यात्मक प्रश्न होता है, और आदेश को अमान्य घोषित करने, स्वीकार करने या माफ करने के लिए नहीं कहता है, तो न्यायालय के विवेक का प्रयोग युक्तियुक्त रीती से किया जाना चाहिए। जब न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान किया गया हो, तो न्यायालय उचित मामलों में अनुतोष अनुदत्त करने से इनकार कर सकता है, भले ही वह यह मानता हो कि आदेश अमान्य था।"
>
> (जोर दिया गया)

(4) इस संबंध में कोई कठोर नियम नहीं है कि उच्च न्यायालय को कब उस पक्षकार के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने से इनकार करना चाहिए जो काफी देरी के बाद याचिका दायर करता है और अन्यथा उपेक्षा का दोषी है। यह एक ऐसा मामला है जिसे न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हालाँकि, उस विवेकाधिकार का उपयोग विवेकपूर्ण और युक्तियुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

---

1 1996) 6 एससीसी 445 (453)

(5) **तिलोकचंद मोतीचंद बनाम एच.बी. मुंशी हिदायतुल्लाह**[2] के प्रकरण में, मुख्य न्यायाधीश ने निम्नानुसार निर्धारित किया था :

> "यह प्रश्न इस न्यायालय के लिए विवेकाधिकार का है कि वह एक प्रकरण से दूसरे प्रकरण में इसका का पालन करे। कोई निचली सीमा नहीं है और कोई ऊपरी सीमा नहीं है। किसी मामले को किसी अनुच्छेद के कारण परिसीमा अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है, लेकिन इस न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए वादी को पूरा समय देना आवश्यक नहीं है। इसी तरह, एक उपयुक्त प्रकरण में यह न्यायालय समय बीतने के बाद भी ऐसी याचिका पर विचार कर सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है, इसका उपाय क्या है और देरी किस कारण से हुई।
>
> (जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. **पी. एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य**[3] के प्रकरण की स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया था :

> "ऐसा नहीं है कि न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोई समय सीमा है और न ही ऐसा है कि ऐसा कोई मामला कभी नहीं हो सकता जहां न्यायालय एक निश्चित समय बीत जाने के बाद किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन न्यायालयों के लिए यह विवेकपूर्ण और उचित निर्णय होगा कि वे अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग उन व्यक्तियों के मामले में करने से इनकार कर दें जो शीघ्रता से राहत के लिए न्यायालय के समक्ष नहीं आते, जो चुपचाप बैठे रहते हैं और घटनाओं को घटित होने देते हैं तथा फिर न्यायालय में पुराने दावे प्रस्तुत करने और सुलझे हुए मामलों को पलटने का प्रयास करते हैं।
>
> (जोर दिया गया)

7. जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले में याचिकाकर्ता संहिता के तहत अपीलीय अधिकारियों के समक्ष और साथ ही इस न्यायालय के समक्ष विधिक उपचारों का

---

2 एआईआर 1970 एससी 898: (1969) 1 एससीसी 110
3 एआईआर 1974 एससी 2271: (1975) 1 एससीसी 152

अनुपालन करने में विलंब का दोषी था। यद्यपि याचिकाकर्ता ने 4 वर्ष और 3 महीने के विलंब उपरांत यह रिट याचिका दायर की है, परंतु याचिका में इसके लिए एक शब्द का भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। दूसरी ओर, रिट याचिका की कंडिका 4 में उन्होंने कथन किया है कि "इस मामले को दायर करने में कोई विलंब नहीं हुआ है और यह परिसीमा के भीतर है।" यह तो वाकई काफी विचित्र और अजीब दावा है! तीनों सांविधिक प्राधिकरणों ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया है। गुणदोष के आधार पर भी मैं संतुष्ट हूं कि न्याय की कोई विफलता नहीं है। इस परिस्थिति में, मैं इस रिट याचिका को गुणदोष से रहित होने और विलंब तथा उपेक्षा के आधार पर भी खारिज करता हूं। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**